न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 51/2021

दायर दिनांक–25.08.2021

संतोष देवी पुत्री लाडा देवी दोहिती घडसीराम पुत्री भगवानाराम पत्नी नन्दलाल जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान हाल आबाद ग्राम बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

– आवेदिका

बनाम

1. प्रभाती
2. भागोती
   पुत्रियां घडसीराम जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।
   बनवारीलाल पुत्र घडसीराम जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0 (मृतक अविवाहित)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।
4. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

–अनावेदकगण

वकील आवेदकगण : श्री सुरेन्द्र भर्रा
वकील अनावेदक नं. 1 : इकबालिया जवाब
वकील अनावेदक नं. 2 : किशोर कुमार जांगिड़
वकील अनावेदक नं. 3,4 : एकपक्षीय कार्यवाही

प्रार्थना–पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 25.04.2022

प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान की सरहद में खाता संख्या नया 309 खाता संख्या पुराना 253 भूमि खसरा नम्बर 3910/2773 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्टर अवस्थित है जो आवेदिका के नाना की पैतृक सम्पति है, जिसको आगे प्रार्थना–पत्र में विवादित सम्पति के नाम संबोधित किया गया है।

ग्राम परसरामपुरा में घडसीराम नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। घडसीराम व उसकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है। घडसीराम के एक पुत्र व तीन पुत्रियां पैदा हुई। घडसीराम का पुत्र बनवारीलाल जो अविवाहित था, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है, घडसीराम की एक पुत्री लाडा देवी की भी मृत्यु हो गई है जिसका विवाह ग्राम सैंसवास में भगवानाराम के साथ सम्पन्न हुआ था जिसमें एक पुत्री संतोष देवी पैदा हुई जो इस दावा में वादिया है। घडसीराम के फौत होने पर उसकी काश्त की भूमि जिसको प्रार्थना–पत्र में विवादित काश्त की भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है, उसमें आवेदिका की माता लाडा देवी उसकी जायन्दा पुत्री होने के कारण उसका हक व हित निहित है। आवेदिका लाडा देवी की एकमात्र जायन्दा पुत्री संतान है जिसका भी अपनी माता लाडा देवी की सम्पति में हक व हित निहित है। इस प्रकार आवेदिका विवादित काश्त की भूमि में अपने हक व हित की घोषणा करवाने के लिये यह प्रार्थना–पत्र घोषणार्थ का पेश कर रही है। वंशावली निम्नानुसार है :–

घडसीराम

बनवारीलाल (अविवाहित फौत) | लाडा देवी (फौत) | भागोती (अना.नं.2) | प्रभाती (अना.नं.1)

लाडा देवी → संतोष देवी आवेदिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:08 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ

प्रार्थना–पत्र में विवादित काश्त की भूमि घडसीराम के फौत होने पर उसकी काश्त की भूमि [का नामां]तरण विरासत का भरा गया, उस समय घडसीराम की दो पुत्रियां अनावेदक नं. 1 व 2 चतुर व चालाक [होने से] दोनो बदनियती से राजस्व कर्मचारी से सांठ–गाठकर लाडा देवी की वल्दियत को छुपाकर उसका [नामां]तरण अपने भाई बनवारीलाल व अपने स्वंय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में करवा लिया है, जो वर्तमान में प्रभाती पुत्री घडसीराम हिस्सा 1/3, बनवारी पुत्र घडसीराम हिस्सा 1/3, भागोती पुत्री घडसीराम हिस्सा 1/3 दर्ज है जो गलत राजस्व रिकॉर्ड बना हुआ है उसको दुरूस्त करवाने के लिये यह दावा/प्रार्थना–पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती का करना आवश्यक हुआ।

घडसीराम का पुत्र बनवारीलाल अविवाहित ही फौत हो गया है। लेकिन उसका राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज है। बनवारीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर उसका हिस्सा 1/3 उसकी तीन सगी बहिने लाडा देवी, प्रभाती देवी, भागोती को दिया जावें। आवेदिका लाडा देवी की जायन्दा पुत्री है जिसका लाडा देवी की सम्पति में हक व हित निहित है। इसका विवादित सम्बोधित काश्त की भूमि में 1/3 हिस्सा आवेदिका, 1/3 हिस्सा अनावेदक नं. 1 का, 1/3 हिस्सा अनावेदक नं. 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किया जावें।

आवेदिका को विवादित काश्त की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड की पहले जानकारी नहीं थी। आवेदिका को अनावेदक नं. 1 व अनावेदक नं. 2 ने दिनांक 31/8/21 को कहा कि विवादित काश्त की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड हमारे नाम से दर्ज है, आपका इससे कोई लेना–देना नहीं है, हम आपको इसको काश्त नहीं करने देंगे, इसको विक्रय करेंगे, तब आवेदिका ने पटवारी हल्का परसरामपुरा से मिलकर अपने राजस्व रिकॉर्ड की तमाम जानकारी प्राप्त की तब आवेदिका को सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई कि उसके नाना घडसीराम के फौत होने के बाद उसकी माता लाडा देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। यह सभी जानकारी होने के बाद आवेदिका ने अनावेदक नं. 1 व 2 से स्वंय व्यक्तिगत् रूप से मिली तथा कहा कि मेरी माता का विवादित काश्त की भूमि में 1/3 हिस्सा है, उसका 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम से दर्ज करवा दो तब अनावेदक नं. 1 व 2 ने आवेदिका को ऐलानिया धमकी दी कि हम आपको विवादित काश्त की भूमि में एक ईंच भूमि भी नहीं देगे, आप अपने मर्जी मुताबिक कुछ भी करो।

आवेदिका, अनावेदक नं. 1 व 2 की एलानियां धमकी सुनकर अपने आवासीय मकान ग्राम परसरामपुरा में मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारो को बुलाकर दिनांक 06.08.2021 को एक मिटिंग बुलाई तब अनावेदक नं. 1 व 2 ने पुनः कहा कि हक आवेदिका को एक ईंच भूमि भी नहीं देंगे। इस भूमि में नहीं रहने देंगे, काश्त नहीं करने देंगे, तब आवेदिका ने कहा कि पहले इस काश्त की भूमि में माता लाडा देवी का 1/4 हिस्सा था उसमें वह काबिज काश्त रही है, आबाद रहीं है। मेरा मामा बनवारीलाल जो अविवाहित ाि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका 1/3 हिस्सा जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसको दुरूस्त करवाने विधिवत् बंटवारा करवा लेंगे जिसको आपस में सीमा सम्बन्धित विवादित पैदा नहीं रहे। आवेदिका विवादित काश्त की भूमि की सह–काश्तकार है, उसका जन्म से ही हक व हित निहित है, वह विधिवत् बंटवारा करवाने की अधिकारी है।

अनावेदक नं. 1 व 2 चतुर व चालाक महिला है, अगर दोनो अपने नाजायज कृत्य में सफल होती है, विवादित भूमि को विक्रय कर देती है, खुर्द–बुर्द कर देती है, बिना विधिवत् बंटवारा किये किसी विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर नवनिर्माण कार्य करती है तो आवेदिका को भयंकर हक तलफी होगी जिसका खामियाजा किसी भी तरह से वहन नहीं हो सकता है। आवेदिका बर्बाद हो जायेगी। आवेदिका के हक व अधिकारो पर कुठाराघात होगा। इस प्रकार आवेदिका अपने अधिकार की रक्षार्थ के लिये यह प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

आवेदिका का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन भी आवेदिका के पक्ष में है, यदि अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो आवेदिका को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी, इसलिये अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

आवेदक ने प्रार्थना–पत्र में अनुतोष चाहा है कि अनावेदकगण संख्या 1, 2 व 5 को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह ग्राम परसरामपुरा में अवस्थित खाता संख्या नया 309 खाता संख्या पुराना 253 भूमि खसरा नम्बर नया 3910/2... रकबा 0.37 हैक्टर में आवेदिका की 0.12 हैक्टर भूमि विक्रय नहीं करें, खुर्द–बुर्द नहीं करें, पुख्ता निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न तो अनावेदकगण स्वंय करें, न ही अपने दायभागियों, नौकर चाकरो आदि से करवाये, अनावेदक नं. 5 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि में आवेदिका की भूमि का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज तस्दीक नहीं करें, मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:08 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण नम्बर 1 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया किया तथा अनावेदकगण नम्बर 3 व 4 की तलबी सम्यक रूप से होने के फलस्वरूप इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदक नम्बर 02 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार जागिड़ उपस्थित आये तथा अनावेदकगण नम्बर 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 में वादिया द्वारा पेश दावा बहुत ही कमजोर आधारो पर आधारित है जिसमें आवेदिका को कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है। वाद खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि में खसरा नम्बर 3910/2773 रकबा 0.37 हैक्टर अवस्थित होना स्वीकार है जो आवेदकगण के नाना की पैत्रिक सम्पति होना अस्वीकार है, उक्त भूमि को दावा/प्रार्थना–पत्र में विवादित सम्पति गलत रूप से दर्ज किया गया है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। घडसीराम व उसकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया होना स्वीकार है। यह तथ्य अस्वीकार है कि घडसीराम के तीन पुत्रियां हो, बल्कि दो ही पुत्रियां थी। स्व0 घडसीराम के एक पुत्र बनवारीलाल व 2 पुत्रियां प्रभाती व भागोती थी। स्व. घडसीराम की लाडा देवी नाम की कोई पुत्री नहीं थी। लाडा देवी कौन थी, यह तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। लाडा देवी के पुत्री आवेदिका होना भी अस्वीकार है। उत्तरदाता की कोई बहन लाडा देवी नहीं थी। आवेदिका की माता लाडा देवी का स्व0 घडसीराम की पुत्री होना, आवेदिका का लाडा देवी की सम्पति में हक होना आदि तथ्य अस्वीकार है। वादग्रस्त सम्पति से आवेदिका का कोई लेना–देना व संबंध नहीं है। आवेदिका द्वारा निराधार वाद/प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इस मद में वंशावली गलत दर्ज की है। वंशावली में लाडा देवी को घडसीराम की पुत्री होना गलत दर्शाया गया है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। यह तथ्य अस्वीकार है कि घडसीराम के फौत होने पर उसकी काश्त की भूमि का नामान्तरण भरा गया उस समय घडसीराम की दो पुत्रियों ने बदनियती से राजस्व कर्मचारीयों सांठ गाठ कर लाडा देवी की वल्दीयत को छुपाकर उसका नामान्तरण अपने भाई बनवारीलाल व अपने स्वंय के नाम से राजस्व में करवा लिया हो। वर्तमान में प्रभाती पुत्री घडसीराम हिस्सा 1/3, बनवारी पुत्र घडसीराम हिस्सा 1/3 व भागोती पुत्री घडसीराम हिस्सा 1/3 रिकॉर्ड में सही दर्ज है। वर्तमान में बनवारीलाल की मृत्यु हो चुकी है, इसलिये विरासतन नामान्तरण उसकी दोनो बहन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होगा जो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ दर्ज हो जायेगा। आवेदिका को राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का यह दावा/प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। बनवारीलाल के अविवाहित फौत होने के आधार पर आवेदिका को कोई हक उत्पन्न नहीं होते है। बनवारीलाल के तीन बहने नहीं थी बल्कि दो बहने अनावेदक संख्या 1 व 2 ही है। वादग्रस्त सम्पति में लाडा देवी व आवेदिका का कोई हक व हित नहीं है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि का वर्तमान रिकॉर्ड बहुत वर्षो पहले बना हुआ है। उत्तरदाता के पिता स्व0 घडसीराम के स्वर्गवास के पश्चात् ही वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड अनावेदक संख्या 1 व 2 तथा उसके भाई बनवारीलाल के नाम दर्ज हो गया था। स्व0 घडसीराम का स्वर्गवास करीब पच्चास वर्ष पूर्व हो गया था। अनावेदक संख्या 1 व 2 द्वारा आवेदिका को दिनांक 31.08.2021 को कुछ कहने का तथ्य मनगढ़न्त है। जब आवेदिका का वादग्रस्त सम्पति से कोई संबंध सरोकार ही नहीं है तो आवेदिका के राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होने या नहीं होने का कोई विवाद नहीं बचता है। आवेदिका कभी भी उत्तरदाता से नहीं मिली [illegible] कोई ऐलानिया धमकी आवेदिका को उत्तरदाता ने दी है। समस्त तथ्य मनमर्जी से दर्ज किये गये हैं।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से दर्ज है [illegible] से अस्वीकार है। दिनांक 06.08.21 को आवेदिका द्वारा ग्राम परसरामपुरा में [illegible] व्यक्तियों व [illegible]दारो को बुलाकर मिटिंग बुलाने का तथ्य झुठ होने से अस्वीकार है। आवेदिका कभी परसरामपुरा नहीं आई थी तथा ना ही वादग्रस्त भूमि में रही है, ना ही काश्त की है तथा ना ही आबाद हुई है ना ही वादग्रस्त भूमि में आवेदिका का कोई हक व हित है। जब आवेदिका का कोई हक व हिस्सा ही वादग्रस्त भूमि में नहीं था तो वादग्रस्त भूमि में किसी हिस्से का बंटवारा आवेदिका करवाने की अधिकारी नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:08 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। उत्तरदाता कोई [illegible]यज कृत्य नहीं कर रहा है ना ही खुर्द–बुर्द करना चाहती है। उत्तरदाता को अपनी भूमि को सभी [illegible]र से उपयोग उपभोग करने के अधिकार है। आवेदिका को किसी प्रकार का कोई खामियाजा होने की [illegible]वना नहीं है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवेदिका के कोई हक व अधिकार नहीं है। आवेदिका द्वारा यह झुठा व आधारहीन वाद/प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसके आधार पर कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 9 अस्वीकार है। आवेदिका का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ना ही आवेदिका को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की सभावना है।

प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 10 कानूनी है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 11 में वरवक्त बहस अर्ज किये गये तथ्यो का जवाब वरवक्त बहस अर्ज किया जायेगा। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र अनावेदक नं0 2 की ओर से पेशकर निवेदन है कि आवेदिका का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारीज फरमाया जाने की कृपा करें।

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील पक्षकार सुनी गई। वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ही पुनरावृति की तथा कथन किया कि ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ के खाता संख्या नया 309 खाता संख्या पुराना 253 भूमि खसरा नम्बर 3910/2773 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्टर, जो आवेदिका के नाना की पैतृक सम्पति है, ग्राम परसरामपुरा में घडसीराम नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। घडसीराम व उसकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है। घडसीराम के एक पुत्र व तीन पुत्रियां पैदा हुई। घडसीराम का पुत्र बनवारीलाल जो अविवाहित था, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है, घडसीराम की एक पुत्री लाडा देवी की भी मृत्यु हो गई है जिसका विवाह ग्राम सैंसवास में भगवानाराम के साथ हुआ था। लाडा देवी के एक पुत्री संतोष देवी पैदा हुई। घडसीराम के फौत होने पर उसकी काश्त की भूमि में आवेदिका की माता लाडा देवी उसकी जायन्दा पुत्री होने के कारण उसका हक व हित निहित है। आवेदिका लाडा देवी की एकमात्र जायन्दा पुत्री संतान है जिसका भी अपनी माता लाडा देवी की सम्पति में हक व हित निहित है। घडसीराम के फौत होने पर उसकी काश्त की भूमि का नामान्तरण विरासत का भरा गया, तब घडसीराम की दो पुत्रियां अनावेदक नं. 1 व 2 चतुर व चालाक है दोनो बदनियती से राजस्व कर्मचारी से सांठ–गाठकर लाडा देवी की वल्दियत को छुपाकर उसका नामान्तरण अपने भाई बनवारीलाल व अपने स्वंय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में करवा लिया है, जो वर्तमान में प्रभाती पुत्री घडसीराम हिस्सा 1/3, बनवारी पुत्र घडसीराम हिस्सा 1/3, भागोती पुत्री घडसीराम हिस्सा 1/3 दर्ज है जो गलत राजस्व रिकॉर्ड बना हुआ है। घडसीराम का पुत्र बनवारीलाल अविवाहित ही फौत हो गया है। लेकिन उसका राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज है। बनवारीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर उसका हिस्सा 1/3 उसकी तीन सगी बहिने लाडा देवी, प्रभाती देवी, भागोती को दिया जावें। आवेदिका लाडा देवी की जायन्दा पुत्री है जिसका लाडा देवी की सम्पति में हक व हित निहित है। इसका विवादित सम्बोधित काश्त की भूमि में 1/3 हिस्सा आवेदिका, 1/3 हिस्सा अनावेदक नं. 1 का, 1/3 हिस्सा अनावेदक नं. 2 के नाम से दर्ज किया जावे।

वकील अनावेदकगण नम्बर 02 ने जवाब के बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि में खसरा नम्बर 3910/2773 रकबा 0.37 हैक्टर भूमि में आवेदिका संतोष देवी का कोई सरोकार नही। घड़सीराम के तीन वारिस थे। यह सही है कि घडसीराम व उसकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है। यदि घडसीराम के तीसरी पुत्री होती तो घडसीराम की भूमि में तीसरी पुत्री का नाम भी होता। घडसीराम के तीन पुत्रियां हो, बल्कि दो ही पुत्रियां थी। स्व0 घडसीराम के एक पुत्र बनवारीलाल व 2 पुत्रियां प्रभाती व भागोती थी। स्व. घडसीराम की लाडा देवी नाम की कोई पुत्री नहीं थी। वर्तमान में प्रभाती पुत्री घडसीराम हिस्सा 1/3, बनवारी पुत्र [illegible] हिस्सा 1/3 व भागोती पुत्री घडसीराम हिस्सा 1/3 रिकॉर्ड में सही दर्ज है। वर्तमान में बनवारीलाल की मृत्यु [illegible] घडसीराम के नाम अन्य बहुत सारी भूमियां थी जो विक्रित हो चुकी। उपयोग [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की जिसमें ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है, जिससे [illegible] प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:08 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की ब[illegible] पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एंव पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ के खाता संख्या नया 309 खाता संख्या पुराना 253 भूमि खसरा नम्बर 3910/2773 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्टर, जो आवेदिका के नाना की पैतृक

होना अंकित किया गया है। परन्तु आवेदिका द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही गया है कि लाडो देवी घड़सीराम की पुत्री हो। विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति हो ऐसा कोई भसी तावजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नही किया गया इससे साबित नही होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक हो।

प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :-

यहां प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन कि बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है :-

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन** :- ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ के खाता संख्या नया 309 खाता संख्या पुराना 253 भूमि खसरा नम्बर 3910/2773 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हैक्टर में आवेदिका व आवेदिका की माता लाडा देवी रिकार्डेड खातेदार नही हैं। जहां तक लाडा देवी घड़सीराम की जायन्दा पुत्री हो ऐसा कोई पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही होने से यह साबित नही होता है कि लाडा देवी घड़सीराम की पुत्री हो। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति हो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नही किया है कि जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि आवेदिका की पैतृक भूमि हो। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव की स्थिति में लाडा देवी घड़सीराम की पुत्री हो तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति हो साबित नही होता है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि में आवेदिका का कोई सरोकार प्रतीत नही होता। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में बनना प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु आवेदकगण के विरूद्ध तय किये जाते है।
- **अपूरणीय क्षति** :- उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में नही होने से अपूरणीय क्षति घटित होना प्रतीत नही होती है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:08 IST
Reason: SelfAttested